कांग्रेस में सर्वे को आधार बनाकर पायलट खेमे के विधायकों के टिकट काटने की तैयारी

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, हर महीने होगा सर्वे, कुछ विधायकों की हालत बहुत खराब

- वहीं जितेन्द्र सिंह बोले, सर्वे ही होगा टिकट का आधार, पायलट-गहलोत विवाद का चुनाव पर कोई असर नहीं होगा।
- चार दिन की फीडबैक बैठकों के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली गए और 2 दिन का जयपुर दौरा पूरा कर पायलट मुंबई पहुंचे।

जयपुर, 21 अप्रेल (का.प्र.)। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेल के बीच चल रहे अंतर्द्वंद के बीच अब कहा जा रहा है कि सर्वे के नाम पर सचिन पायलट का साथ देने वाले विधायकों के टिकट काटने की तैयारी है। सर्वे की पुष्टि ना सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, बल्कि अलवर के पूर्व सांसद और राहुल गांधी के नजदीकी नेता जितेंद्र सिंह ने भी सर्वे के आधार पर टिकट बांटने की बात कही है। इस बीच जयपुर में 4 दिन तक फीडबैक बैठकों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां शुक्रवार की शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं 2 दिन जयपुर दौरा करने के बाद सचिन पायलट मुंबई गए हैं।

दरअसल कई दिनों से कहा जा रहा है कि कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करेगी। हालांकि हर बार चुनाव से पहले यह बात होती है, लेकिन चुनाव में टिकट वितरण नेताओं की पसंद- नापसंद पर होता है और जो नेता पावर में होता है, वह अपनी पसंद से टिकट वितरण करता है। पार्टी के भीतर कहा जा रहा है कि सर्वे की बात कहकर सचिन पायलट का साथ देने वाले विधायकों के टिकट काटने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में सरकार हर महीने प्रदेश प्रभारी की देखरेख में विधानसभा सीटों का सर्वे करवाएगी। इसकी रिपोर्ट संबंधित विधायक को भी शेयर करके बताया जाएगा कि आखिरकार उस सर्वे रिपोर्ट में वह विधायक कहां-कहां कमजोर है। बताया तो यह भी जा रहा है कि कई विधायकों को शुरुआती सर्वे के आधार पर कमजोर माना गया है जो कि चुनाव हारने की स्थिति में है।

हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने इस सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि "मेरे सर्वे में हमारी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी हैं, जिनकी सर्वे में हालत अच्छी नहीं है।" हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से यह तो नहीं बताया गया कि किन विधायकों की स्थिति खराब है, लेकिन जानकारों का कहना है कि सर्वे के आधार पर पायलट खेमे के विधायकों को टिकट की दौड़ से बाहर करने की तैयारी है।

गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि "विधायक को पता चलना चाहिए कि वह कहां स्टैंड कर रहा है। अगर कोई कमी लगती है, तो उसमें सुधार कर सके, यह हमारे आगे का प्रोसेस रहेगा। हम एक-एक विधायक को साथ लेकर चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबके काम हो। हम तो सपना देखेंगे कि सब विधायक जीतकर आएं। यह सब इस पर निर्भर करेगा कि वहां की जनता का मूड क्या है"? गहलोत ने जयपुर में हुए फीडबैक को लेकर कहा कि फीडबैक में हर विधायक ने खुलकर अपनी राय दी है। कई लोग खुद कह रहे हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं। कई बार गलती नहीं भी होती है, लेकिन पर्सेप्शन बन जाता है, झूठे आरोप लग जाते हैं। भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। हमने एक से बढ़कर एक स्कीम्स दी है।

गहलोत ने कहा कि "मीटिंग में मैंने कहा कि सर्वे में भी आ रहा है कि सरकार रिपीट हो रही है। सरकार बदलने का जो सिलसिला चलता है, यह इस बार नहीं होगा। यह इस बात का प्रतीक है कि गुड गवर्नेंस पर काम हुआ है।

गहलोत ने कहा कि चुनाव सब मिलकर ही लड़ रहे हैं। सब ने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। हम सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। सब काम करेंगे तभी तो जीतकर आएंगे। वहीं पार्टी के भीतर खेमेबाजी को लेकर गहलोत ने कहा कि छोटा-मोटा मनमुटाव तो हर पार्टी में चलता रहता है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है।

उड़ीसा के प्रभारी एवं अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह ने भी राजस्थान दौरे पर कहा कि इस बार राजस्थान में सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होगा और नए लोगों को ज्यादा मौके दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे विवाद पर कहा कि हर परिवार में विवाद होता है। कांग्रेस बड़ा परिवार है। ऐसे छोटे-मोटे विवाद चलते रहते हैं। इन विवादों से आम जनता को कोई मतलब नहीं है। इसका चुनाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीते दिनों जयपुर में हुई एक बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी में अनुशासन बनाने को लेकर अहम फैसले लिए गए।

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सी.बी.आई. ने तलब किया

सी.बी.आई. मलिक से पुलवामा हमले व अन्य मुद्दों पर पूछताछ करेगी, जो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ उठाये हैं

- सी.बी.आई. ने उन्हें 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।
- पूर्व राज्यपाल मलिक ने दावा किया था कि, उन्हें दो फाइल साइन करने के लिए 300 करोड़ का ऑफर मिला था। सी.बी.आई. ने पिछले साल अक्टूबर में भी उनसे पूछताछ की थी।

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। सी.बी.आई. ने भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक समन भेजा है। उन्हें एजेंसी ने 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सी.बी.आई. ने फिलहाल पुष्टि नहीं की है।

एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में दो प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर केस दर्ज किया था। इसी मामले में सी.बी.आई. ने उन्हें बुलाया है। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें दो फाइल साइन करने के लिए 300 करोड़ का ऑफर मिला था। सी.बी.आई. ने पिछले साल अक्टूबर में भी उनसे पूछताछ की थी।

मलिक को ये समन ऐसे समय पर भेजा गया जब उन्होंने पुलवामा में हुए हमले को सरकार की विफलता कहा था। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि सी.आर.पी.एफ. ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी लेकिन नहीं दिया गया और अटैक हो गया।

सत्यपाल मलिक ने कहा कि सी.बी.आई. कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति चाहते हैं मैं राजस्थान जा रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें 27 से 29 अप्रैल की तारीख दी हैं। जब मैं उपलब्ध रहूंगा उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं। शायद, इसलिए बुलावा आया है मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं सच्चाई के साथ खड़ा हूं। चचा है कि, सी.बी.आई. ने बीमा घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देने को लेकर नोटिस जारी किया है।

सी.बी.आई. ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समूह चिकित्सा बीमा योजना के ठेके देने में और जम्मू कश्मीर में कीरू जलविद्युत परियोजना से जुड़े 2,200 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मलिक के आरोपों के संबंध में दो एफ.आई.आर. दर्ज की थीं।

आप पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी

आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने यह घोषणा की और कहा, केवल गोवा में हम समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन का मन बना सकते हैं

- संदीप पाठक का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि, कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है।

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव देश भर में बिना किसी के साथ गठबंधन किए अपने दम पर लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों पर समान विचारधारा वाले दलों के साथ रहेगी। संदीप पाठक ने गोवा में कहा कि उनकी पार्टी इस तटीय राज्य की दोनों सीटों सहित अगला आम चुनाव अकेले लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव (2019) में, भाजपा और कांग्रेस ने गोवा में एक-एक सीट जीती थी। संदीप पाठक का यह बयान कांग्रेस की ओर से विपक्षी एकता को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच आया है। कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी खड़गे ने वामपंथी नेताओं सीताराम येचुरी और डी. राजा से भी बातचीत की है।

आप के सबसे प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के लिए बतौर उम्मीदवार पेश किए जाने के संबंध में सवाल किए जाने पर संदीप पाठक ने कहा, "देश को तय करने दीजिए कि प्रधानमंत्री किन्हें बनना चाहिए हम ऐसी चीजों (पहले से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा) में विश्वास नहीं करते हैं।" पाठक ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर आप समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ रहेगी। उन्होंने कहा, लेकिन चुनाव अलग बात है।" आप नेता ने गोवा में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए यहां अपने नेताओं के साथ कई बैठकें कीं 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में आप के दो विधायक हैं साल 2019 के लोकसभा चुनावों में, आप ने नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और केवल एक सीट जीती थी।

पाकिस्तान में सभी भारतीय मीडिया का प्रसारण बंद करने का आदेश

- सरकार पहले भी इस तरह की चेतावनी कई बार जारी कर चुकी है और अब तक इस पर प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है
- गौरतलब है कि, मीडिया चैनल्स पहले भी सरकार और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं।

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। पाकिस्तान की इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर नजर रखने वाली संस्था ने शुक्रवार को देशभर में स्थानीय केबल टी.वी. ऑपरेटरों को भारतीय चैनलों का प्रसारण बंद करने का आदेश दिया और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पी.ई.एम.आर.ए.) ने एक बयान में कहा कि विभिन्न ऑपरेटर पहले भी उसके और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं।

शुक्रवार को प्राधिकरण ने अपने स्थानीय कार्यालयों को आदेश दिया था कि वे केबल ऑपरेटरों द्वारा भारतीय चैनलों का प्रसारण कर नियमों का उल्लंघन किए जाने की खबरों की पड़ताल करें। प्राधिकरण ने बयान में कहा, प्राधिकरण के लाइसेंस प्राप्त चैनलों के अलावा किसी भी चैनल को केबल टी.वी. नेटवर्क पर प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि कोई ऑपरेटर आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्राधिकरण के कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची क्षेत्रीय कार्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया और डिजिटल केबल नेटवर्क, होम मीडिया कम्युनिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड, शाहजेब केबल नेटवर्क और स्काई केबल विजन जैसे केबल ऑपरेटरों पर छापा मारा।

बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण की प्रवर्तन टीमों ने सिंध के हैदराबाद और पंजाब के मुल्तान क्षेत्र में इसी तरह छापे मारकर अवैध उपकरण जब्त किए और उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। पाकिस्तान पहले भी कई बार भारतीय फिल्मों और टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा चुका है। पहली बार, इसने 1965 के युद्ध के बाद भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया था, जो दशकों तक जारी रहा। हालांकि 2008 में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के बाद इसे हटा लिया गया। कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव के बाद 2016 में पाकिस्तान में भारतीय कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाहौर उच्च न्यायालय ने 2018 में प्रतिबंध के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन अक्टूबर 2018 में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय का फैसला पलट दिया और फिर से प्रतिबंध लगा दिया।

जिंदा बम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बप्पा उर्फ यासीन भटकल व असदुल्लाह अख्तर उर्फ डेनियल ने सीआरपीसी की धारा 164 के बयानों में कहा है कि उनके द्वारा जयपुर में किए गए बम ब्लास्ट में मोहम्मद सरवर आजमी भी शामिल था। इन दोनों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए थे और इस स्टेज पर इन्हें नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अलग तरीके से अपराध किया है, जिससे धार्मिक समुदायों के बीच में आपसी सौहार्द बिगडा व शांति भंग होकर आमजन व समाज में भय पैदा हुआ। आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं, उनमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। यदि आरोपी को जमानत दी तो उसके वापस आने की संभावना कम है और जमानत देने पर उसके गवाहों को तोडने और उन्हें धमकाने की भी पूरी तरह से संभावना बनी रहेगी। ऐसे में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आरोपी की ओर से जमानत अर्जी में कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट के अन्य आठ केसों में हाईकोर्ट ने प्रार्थी को दोषमुक्त कर मामले में आपराधिक षड्यंत्र होना नहीं माना है। यह मामला भी उससे अलग नहीं है और इसमें प्रार्थी पर केवल आपराधिक षड्यंत्र का ही आरोप है। वह 14 साल से जेल में है और अभियोजन के 156 गवाहों में से अभी 35 के ही बयान दर्ज हुए हैं। उनके खिलाफ अन्य कोई केस लंबित नहीं है। इसके अलावा प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित करेगा और फरार हो जाएगा। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

शादी से पहले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी 17 साल की बेटी 8 अप्रैल, 2019 को बिना बताए कहीं चली गई। बाद में पता चला कि उसे जीवणराम बहला-फुसला कर ले गया। उसकी पुत्री जाते समय घर से एक किलो चांदी व एक तोला सोने के जेवरात भी ले गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त पीडिता को बस से दिल्ली, उदयपुर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि उसकी शादी वर्ष 2016 में किसी अन्य व्यक्ति से हुई थी। वह उससे मारपीट करता था, इसलिए वह अपने पीहर रहती थी। यहां उसकी जीवणराम से दोस्ती हो गई और वह अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई, लेकिन उसने उससे संबंध नहीं बनाए। हालांकि पीड़िता ने बताया था कि वह नौ माह की गर्भवती है और बच्चे का पिता जीवणराम है। वहीं अभियुक्त व पीड़िता ने अदालत में कहा कि वे पति-पत्नी की तरह जीवन यापन कर रहे हैं और उनके दो बेटियां भी हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि अभियुक्त ने पीड़िता के नाबालिग रहते हुए अपराध किया है। ऐसे में उसे सजा देना उचित है।

बस पलटी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस मौके पर समाजसेवी संगठन, जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन पहुंचा। प्रशासन के द्वारा मौके पर यातायात को सुचारु करवाया। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बस में सवार लोगों ने बताया कि, प्राइवेट बस संगरिया से घड़साना आ रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्व विधायक शिमला बावरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरनेक सिंह कलेर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दलीप चोटिया, घड़साना व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन दुग्गल और घड़साना के अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। इस सड़क हादसे में बलवीर सिंह निवासी चक रसूलवाला, कलवन्ति निवासी 12 चक, माया निवासी भागसर श्रीविजयनगर, नीतू निवासी भागसर, राकेश व एकता निवासी घड़साना, , यासीन पुत्र आयूब खान, चीचा देवी पत्नी सहीराम, विकास पुत्र ओमप्रकाश, मोहम्मद अली पुत्र गुलाम कादर सहित अन्य घायल हुए हैं।

भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोर्चा पदाधिकारी बनाथी श्रीनिवासन ने भी अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन का पक्ष लिया था। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी श्रीनिवासन के बयान को पसंद किया था।

पार्टी-बॉस के नज़दीकी कुछ अन्नाद्रमुक के नेताओं का मानना रहा है कि अन्नाद्रमुक के राजनैतिक रूप से कष्ट पा रही है तथा पार्टी को भाजपा के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिये। इस विचार को इस अर्थ में भी लिया जा रहा है कि पार्टी भाजपा के उन आक्रामक तौर तरीकों से अप्रसन्न है जिनके चलते वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है। अन्नामलाई ऐसी ही धारणा के निर्माण की कोशिश कर रहे थे, वे प्रमुख विपक्षी नेता की छवि गढ़ने के लिये स्वयं को नज़रों में लाने के लिये बहुत ऊँचे दर्जे के प्रयास और प्रचार में लगे हुये थे।

इन दोनों मित्र दलों के बीच की अनबन की बात लोगों की जानकारी में उस समय आई, जब अन्नाद्रमुक के नेताओं ने ईरो विधानसभा उपचुनाव में अपने गठबंधन पार्टनर भाजपा के साथ प्रचार करने से इंकार कर दिया था। ज्ञात है कि इस पचुनाव में द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी भारी अंतर से जीता था।

अब इन दोनों गठबंधन पार्टनरों के बीच का बढ़ रहा तनाव कर्नाटक तक भी पहुँच गया है। इन दोनों दलों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के उदाहरण स्वरुप इनता पर्याप्त है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने अन्नामलाई के बारे में पूछे गये प्रश्नों की उपेक्षा कर दी थी। मीडिया के साथ संवाद में उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा था, "उनके बारे में मुझसे कुछ मत पूछिये। मैं केवल परिपक्व नेताओं के बारे में बात करूँगा। अपने इन्टरव्यूज के जरिये, वे केवल स्वयं केा प्रोजैक्ट कर रहे हैं। अन्नामलाई इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं मानो द्रमुक के मुख्य विरोधी वे ही हैं।

वस्तुत: अन्नामलाई, इस समय ही द्रमुक द्वारा दर्ज कराये गये क्रिमिनल तथा सिविल मानहानि केसों का सामना कर रहे हैं तथा उन्होंने द्रमुक के नेताओं के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाये हैं। अन्नामलाई ने घोषणा की है कि वे शीघ्र ही "अन्नाद्रमुक फाइल्स" रिलीज करेंगे, जिसमें उन परिसम्पत्तियों की सूची होगी, जो अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेताओं के पास हैं। इस घोषणा से अन्नाद्रमुक के नेतृत्व और भी खिन्न हो गया है तथा उसने कड़ी चेतावनी जारी भी कर दी है। अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री डी. जय कुमार ने एक बयान में कहा है, "अन्नाद्रमुक को छूना आग से खेलने जैसा है।"

अन्नामलाई ने इडापड्डी पलानी स्वामी के ओ. पन्नीरसेल्लवम के साथ पार्टी पर नियंत्रण के लेकर चल रही अनबन का लाभ उठाते हुये, कई अभियान शुरु कर दिये तथा राज्य के विपक्ष दृश्यमान चेहरा बन गये। इसके अतिरिक्त, भाजपा भी गठबंधन में बड़ी भूमिका होने का प्रदर्शन कर रही है तथा उन नेताओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है, जिन्हें अन्नाद्रमुक ने निकाल दिया है, जैस- शशिकला तथा उनके भतीजे टी.टी.वी. दिनकरण।

वरिष्ठ अन्नाद्रमुक नेता तथा जे. जयललिता सरकार में वित्त मंत्री रहे सी. पोन्नेयन ने कहा कि "अन्नाद्रमुक इस बात को जानती है कि भाजपा ने किस तरह से अन्य राज्यों में अपने स्वयं के मित्र दलों की सरकारों को गिराया है, हम सावधान हैं।"

जहाँ तमिलनाडु भाजपा के नेता अन्नाद्रमुक द्वारा कर्नाटक मे उम्मीदवार खड़े किये जाने पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर रहे हैं, वहीं अन्नाद्रमुक के प्रवक्ता के सत्यन ने मीडिया को बताया कि कर्नाटक में अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच कोई गठबंधन नहीं है।

गोधरा आगजनी मामले में आठ दोषियों की जमानत मंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी आरोपी एवं दोषी 17-18 साल से सजा काट रहे हैं अब इन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिये

- सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, मामले में मौत की सजा वाले चार अन्य लोगों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आठ दोषियों की जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने यह कहते हुए याचिका स्वीकार की कि वे (याचिकाकर्ता) करीब 17-18 साल से जेल में हैं और उनकी अपील पर सुनवाई में अभी समय लगेगा।

पीठ ने हालांकि, मामले में मौत की सजा वाले चार अन्य लोगों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत के समक्ष गुजरात सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रेन जलाने के मामले में चार आरोपियों को उनकी भूमिका के कारण जमानत अर्जी में उन्हें कुछ दिक्कत है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने सुझाव दिया कि जिनकी जमानत का मेहता ने विरोध किया अदालत उन चारों दोषियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर सकती है।

हेगड़े ने पीठ के समक्ष कहा कि चारों दोषियों की जमानत अर्जी दो सप्ताह के लिए स्थगित की जाए।

पीठ के समक्ष एक अन्य वरिष्ठ वकील ने भी चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज नहीं करने और उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया।

मेहता ने हालांकि, जोर देकर कहा कि अदालत को चारों दोषियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए, यह कहते हुए कि अदालत एक या दो साल बाद इन आवेदनों पुनर्विचार के लिए छोड़ सकती है।

अडानी-गहलोत "मित्रता" उपभोक्ताओं पर भारी ...

- बिजली की रेट में वृद्धि करने के लिये सरकार के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने फटाफट अपनी मोहर लगा दी।
- जबकि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियामक आयोग को सरकार के प्रस्ताव पर, उपभोक्ताओं से आपत्तियां मांगनी जरुरी होती है तथा आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद रेट में वृद्धि की अनुमति दी जाती है।
- अडानी को भुगतान करने की जल्दबाजी में सरकार ने उन उद्योगों पर भी सरचार्ज लगा दिया, जिन्होंने अडानी द्वारा उपलब्ध कराई गई बिजली का उपयोग ही नहीं किया। ये उद्योग 2018 में या उसके बाद लगे, जबकि अडानी ने 2013-17 तक सप्लाई की गई बिजली पर ही "फ्यूल चार्ज" देने के बारे में कहा है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नवम्बर 2019 से अक्टूबर 2022 तक 15,62,000 रु. दे चुका है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग द्वारा यह आदेश पारित किया जाना बिलकुल ही गैर कानूनी है और उसी के द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नियम के अनुसार बिजली की दरें तय करते समय सभी प्रभावित पार्टियों से आपत्ति आमंत्रित करनी होती है, परंतु आयोग ने यह "स्पेशल सरचार्ज" लगाने से पहले किसी भी प्रभावित पार्टी से आपत्तियां आमंत्रित नहीं की। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग ने याचिकाकर्ता की ओर से इस नये शुल्क के खिलाफ आयोग में दायर याचिका को 1 मार्च 2021 को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि 22 सितम्बर 2022 को आदेश पारित किये कि अडानी के भुगतान के लिये वसूले जा रहे शुल्क "स्पेशल सरचार्ज" की दर 5 पैसे से बढाकर 7 पैसे कर दी गई है जिसे डिस्कॉम्स 60 महीने तक वसूल सकते हैं। आयोग ने अपने आदेश में "स्पेशल सरचार्ज" में बढ़ोतरी करने के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है और यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि इसमें डिस्कॉम्स कितनी राशि वसूलेंगे और कितनी अडानी को देंगे।

याचिकाकर्ता के अनुसार शुल्क में वृद्धि के बाद उसे 60 किश्तों में 42,87,486 रुपए देने होंगे जो लगभग 71,458 रुपए प्रति माह के हिसाब से वसूले जाएंगे। याचिकाकर्ता अब तक 3,57,290.50 पैसे अदा कर चुका है। यहां उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में फ्यूल सरचार्ज भी देता है, फिक्स चार्ज भी देता है और उसके ऊपर अब ये नया "स्पेशल सरचार्ज" भी देता है। गौरतलब है कि आयोग द्वारा फ्यूल सरचार्ज लेने के लिए तो नियम कायदे बनाए गए हैं पर "स्पेशल फ्यूल सरचार्ज" कहीं भी परिभाषित नहीं है। ज्ञातव्य है कि अडानी ने 2013 से 2017 के बीच में अपने एकाउंट्स में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि उन्हें राज्य सरकार से कुछ लेना है। पर वर्ष 2017 में अदालतों में उसने यह दावा पेश किया कि राज्य सरकार की डिस्काम्स से उसे फ्यूल सरचार्ज लेना है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह नहीं कहा गया था कि अडानी को 2700 करोड़ का भुगतान करने के लिये जनता या उद्योगों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए। डिस्कॉम्स ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि उसने यह रकम चुकाने के लिये बाजार से पैसा उठाया है और कुछ लोन लिया है।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उनकी कंपनी अग्रवाल वोवन पॉलिमर्स 2016 के अंत में शुरू हुई थी, तो उनसे अडानी को दी जाने वाली रकम कैसे वसूली जा सकती है, जबकि कम्पनी तब शुरु भी नहीं हुई थी। जब अडानी ने कानून में परिवर्तन के कारण देश के बाहर से कोयला मंगाया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 2018 के बाद रीको के द्वारा कई नये इंडस्ट्रियल ज़ोन बनाये गये, जहां पर कार्यरत कंपनियों ने अडानी द्वारा बाहर से मंगाये गये कोयले से निर्मित बिजली का उपयोग ही नहीं किया है, परंतु फिर भी उन पर डिस्कॉम्स "स्पेशल सरचार्ज" लगा रहे हैं।

यहां यह भी गौर फरमाने योग्य है कि प्रदेश की डिस्कॉम्स ने आमजनता और उद्योगों से वर्ष 2013-2017 के बीच "फ्यूल सरचार्ज" वसूला था, फिर वर्तमान में "स्पेशल सरचार्ज" लगाने की नौबत क्यों आ रही है? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अडानी को थर्मल पावर प्लांट बनाने और बिजली उत्पादन के लिये राज्य सरकार से सब्सिडी मिली थी, जिसका ब्यौरा गौतम अडानी ने स्वयं अक्टूबर में हुए राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में दिये अपने भाषण में दिया है। फिर सवाल यह उठता है कि 2013 में राज्य सरकार ने अपने अनुबंधन की शर्तें क्यों बदली, जबकि अनुबंधन के अनुसार अडानी को तय दर पर ही बिजली बेचनी थी? यहां यह भी सवाल उठता है कि अडानी ने अनुबंधन की शर्तों में बदलाव के चार वर्ष बाद तक "फ्यूल सरचार्ज" की मांग क्यों नहीं रखी अगर उन्हें महंगा कोयला बाहर से आयात करना पड़ा था?

राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में याचिकाकर्ता कैलाश अग्रवाल का कहना है कि डिस्कॉम्स द्वारा "स्पेशल सरचार्ज" उन लोगों से वसूलना, जिन्होंने कभी अडानी द्वारा उत्पादित बिजली को उपयोग में नहीं लिया, बिल्कुल ऐसा है कि "किसी रेस्टोरेंट का बिल उन्हें भरना पड़ रहा है, जहां उन्होंने खाना खाया ही नहीं।"

याचिकाकर्ता के वकील पंकज बोहरा ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की है कि "स्पेशल सरचार्ज" जो डिस्कॉम द्वारा वसूला जा रहा है वह गलत और गैर कानूनी है जिसे रोका जाये और अभी तक याचिकाकर्ता से "स्पेशल सरचार्ज" के नाम पर जो शुल्क वसूला गया है, उसे 18 प्रतिशत ब्याज की दर सहित लौटाया जाये।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908